कार्यालय आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन, हरियाणा,

प्लाट नं0 9, प्रथम तल, डी.एच.एल. स्केयर, सैक्टर–22, पंचकूला

Tele:0172-4004268 Email:gurdwaraelectionhry@gmail.com Web: https://gurdwaraelectionshry.in.

आम सूचना

हरियाणा राज्य में रहने वाले सभी सिखों को सूचित किया जाता है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची तैयार करने के लिए नामों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 16.10.2023 को बढ़ा कर 31.10.2023 कर दिया गया है। कोई भी सिख जो अपेक्षित योग्यता पूरी करता है और उसने अभी तक अपना नाम पंजीकृत नहीं करवाया है उसे सलाह दी जाती है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के सचिव के माध्यम से तुरंत अपना नाम पंजीकृत करवा ले। आवेदन पत्र पटवारी और नगर पालिका सचिव के पास उपलब्ध हैं या इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://gurdwaraelectionshry.in. से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक योग्यता निम्नानुसार दी गई है: -

कोई भी व्यक्ति जो-

1.	मतदाता के रूप में पंजीकरण के समय कम से कम 6 महीने से साधारणतया उस वार्ड का निवासी है
2.	सिख है और 1 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है

यह भी सूचित किया जाता है की जो व्यक्ति दाढ़ी या केशों को काटता है/धूम्रपान करता है/किसी भी रूप में कुथा(हलाल) मास का प्रयोग करता है/मादक पेय लेता है वह अपना नाम हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में दर्ज करवाने का हकदार नहीं है।

जस्टिस एच.एस.भल्ला

आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन, हरियाणा